21वीं सदी में जल संसाधन की योजनायें एवं प्रबन्ध

श्री मनोहर अरोडा
वरिष्ठ शोध सहायक

चरमोन्नत जग में, जबकि आज विज्ञान ज्ञान,
बहु भौतिक साधन, यन्त्रयान वैभव महान् ।
सेवक हैं विद्युत वाष्पशक्ति, धन बल नितान्त,
फिर क्यों जग में उत्पीड़न, जीवन यों अशान्त ।।

विकासशील भारत आज अनेकों समस्याओं का सामना कर रहा है । स्वतंत्र नागरिक तथा कर्णधार पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश को उन्नत एवं समृद्ध बनाने में कृतसंकल्प हैं । परन्तु इसके साथ-साथ समृद्धि के मार्ग में बाधाओं में भी उत्तरोतर वृद्धि हुई है । आज जब हम अपनी उपलब्धियों पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि औद्योगिक, कृषि उत्पादन, अनुसंधान, प्रदूषण, अणुशक्ति, ऊर्जा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में चौमुखी विकास के बावजूद आज हमारे देश का नागरिक सुखी नहीं है । हम चारों ओर समस्याओं से घिरे हुये नजर आते हैं जो कि हमारी प्रगति की राह में अवरोधक हैं । इन समस्याओं में सर्वाधिक चिन्तनीय है जल की उपलबधता एवं इसके दुरुपयोग से स्वयंरचित समस्यायें । आज हमें आजाद हुये पूरे पचास वर्ष हो चुके हैं परन्तु सभी को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो सका । कहीं पर बाढ़ का कहर है तो कहीं हमारी धरती प्यासी है ।

पेय जल उपलब्धता में देश की स्थिति अनिश्चित है । इसके प्रमुख कारण हैं बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, अनियंत्रित औद्योगीकरण, प्रदूषण, चेतना का अभाव आदि । परन्तु इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव । धन के अभाव से परियोजनायें समय पर पूरी नहीं की जाती, जिसके परिणामस्वरुप उनमें समय के साथ-साथ लागत भी बढ़ती जाती है । आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना की तुलना में धन केवल ढाई गुना आबंटित किया गया है । आवश्यक है आने वाले वर्षों में अधिक धन आबंटित करने की ।

यूनेस्को की हाल की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों के लगभग 12 करोड़ लागों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध नहीं है । प्रतिदिन 25 हजार व्यक्ति जल संबंधित बीमारियों का शिकार होते हैं । यह अनुमान लगाया गया है कि 21वीं सदी तक 25 राष्ट्र जल संकट का सामना करेंगे । हालांकि भारत जल संसाधनों से सम्पन्न राष्ट्रों की सूचि में आता है, परन्तु फिर भी अनेकों कारणों, जैसे अनुकूलतम उपयोग न करना, अनियंत्रित दोहन, प्रदूषण आदि, के फलस्वरुप हम इस संकट का सामना करने वाले राष्ट्रों में सर्वप्रथम है । यदि मृदु जल की उपलब्धता पर विचार किया जाये तो पृथ्वी पर उपलब्ध मृदु जल नगण्य के बराबर है । उपलब्ध जल का 91.2 प्रतिशत समुद्र में समुद्री जल के रुप में है, 2.2 प्रतिशत हिम शिखरों, हिम नदियों से बर्फ में तथा शेष लगभग 6 प्रतिशत धरातल पर या भूमिगत जल के रुप में मृदु जल उपलब्ध है । इस 6 प्रतिशत का लगभग 97.74 प्रतिशत जल भूमिगत जल तथा अन्य 2.26 प्रतिशत नदियों, तालाबों, झीलों, झरनों मे है ।

इन आँकड़ों से ज्ञात होता है कि भूमिगत जल पर मानव की निर्भरता अधिक है । विश्व के करीब 95 प्रतिशत लोग भूमिगत जल पर निर्भर करते हैं । सतही जल में कमी, जल स्त्रोत का अनियंत्रित दोहन, शहरों में अंधाधुन्ध औद्योगीकरण, नदियों के प्रदूषण आदि से सतही जल की अपेक्षा भूमिगत जल पर दबाव बढ़ा है । भारत में 150 अरब घन मीटर जल प्रतिदिन भूमि से निकाला जाता है । 1970 के बाद से नलकूपों में उत्तरोतर वृद्धि से जलस्तर में कमी आयी है ।

भारत सरकार ने भी इन्हीं समस्याओं एवं आने वाले संकट को ध्यान में रखते हुए 1985 में तत्कालीन सिंचाई विभाग को जल संसाधन मंत्रालय में प्रोन्नत किया । वर्ष 1987 में पहली राष्ट्रीय जल नीति घोषित की गयी । इस मंत्रालय को एक केन्द्रीय इकाई के रुप में संगठित किया गया जिसके अधीन अनेक संगठन एवं संस्थान कार्य कर रहे हैं । इनमें कुछ प्रमुख हैं केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय मृदा मटैरियल अनुसंधान केन्द्र, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय जल परिषद आदि । 1994 में राष्ट्रीय वैज्ञानिक परिषद तथा एफ.ए.ओ. ने मिलकर अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 1994 की जल नीति घोषित की गयी । इसमें जल के अनुकूलतम उपयोग के लिए अत्याधुनिक एवं विवेकपूर्ण प्रबन्धन तकनीकी पर बल दिया गया ।

सूखे एवं बाढ़ के प्रहार को आज भी मनुष्य मात्र प्राकृतिक विपदा मानता है तथा प्रकृति को दोषी स्वीकारता है । परन्तु वास्तविकता में वनों की बरबरतापूर्वक कटाई, मिटटी

के अपरदन आदि ने इन समस्याओं की वृद्धि में उर्वरकों का कार्य किया है। आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में इन्हें रोकना अति आवश्यक है। कानून तो है परन्तु इसपर अमल करना और भी आवश्यक है। तभी हम सभी जल के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

हमारे देश में 70 हजार एकड़ मीटर वर्षा प्रत्येक वर्ष होती है। इस वर्षा के जल को एकत्रित कर यदि प्रयोग में लाया जाये तो सूखे की त्रासदी से मुक्ति पायी जा सकती है। आज तक हम केवल 4 करोड़ एकड़ मीटर जल को ही भिन्न परियोजनाओं के लिये उपयोग करने में सक्षम हो पाये हैं। इसके लिये योजनाओं को और कारगर करते हुए जलग्रहण क्षेत्रों का विकास करना होगा। शिक्षा एवं जन चेतना द्वारा जलग्रहण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सम्मिलित करना होगा।

नदियों में औद्योगिक अपशिष्टों के प्रवाह पर रोकथाम के नियमों का कठोरता से पालन करना होगा। तभी डिप्थीरिया, मलेरिया, कालाजार जैसी भयानक बिमारियों से लड़ा जा सकता है। स्वच्छ पेय जल की पूर्ति के लिये कुछ त्याग अवश्य करना पड़ेगा।

भारत में जल संसाधन प्रर्याप्त हैं। आवश्यकता है जल स्रोतों के अनियंत्रित दोहन के रोकथाम की, भूमिगत जल के विकल्पों पर अधिक प्रयास की, जन चेतना तथा जन सम्पर्क कार्यक्रम द्वारा जलग्रहण क्षेत्रों के विकास की, जल के अनुकूलतम उपयोग की प्रेरणा तथा दृढ़ इच्छाशक्ति की। तभी हम प्यासी धरती प्यासे लोग के विरोधाभास को दूर कर पायेंगे एवं सभी को स्वच्छ जल का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

***